

जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप

हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के मुँह पर पोती स्याही

► विवाद के बाद वीडियो जारी कर मांग चुके हैं माफ़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी के भवानी चौक (पीर गेट) पर सोमवार दोपहर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के साथ कुछ युवकों ने झुमाझटकी की और उनके मुंह पर स्याही पोत दी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई।

तिवारी पर एक साक्षात्कार के दौरान अनुसूचित जाति के लिए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। विवाद के बाद उन्होंने इसे गलती बताते हुए वीडियो जारी कर माफ़ी मांगी थी। घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले युवकों ने खुद को अनुसूचित जाति का बताया था। उन्होंने कहा कि वे सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे और किसी भी धमकी से पीछे



नहीं हटेंगे।

तिवारी ने कहा कि जब तक उनकी गर्दन नहीं काटी जाएगी, तब तक वे सनातन धर्म के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने खुद को हिंदू समाज का हिस्सा बताते हुए

हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि वे अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचेंगे।

सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे

घटना के बाद सामाजिक माध्यमों पर कई दावे किए जा रहे हैं। इनमें प्रतिमा विसर्जन के दौरान झांकियों में सख्ती और डीजे पर पाबंदी को लेकर नाराजगी की बात कही जा रही है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

डीजे बंद कराने की कार्रवाई पर हुआ था विवाद

चंद्रशेखर तिवारी हाल ही में प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने की कार्रवाई को लेकर विवादों में आए थे। उस समय उनकी पुलिसकर्मियों से बहस हुई थी। मौके पर समझाइश देने पहुंचे मंगलवारा थाना प्रभारी अजय सोनी से भी उनकी नोकझोंक हुई थी। बताया गया था कि तिवारी ने कार्रवाई रोकने की चेतावनी दी थी और शहर को जलाने तक की धमकी दी थी। इस घटनाक्रम के बाद डीजे पर कार्रवाई और पुलिस की भूमिका को लेकर विवाद वर्गों में रहा था।

कृषि भूमि की रजिस्ट्री के नाम पर 30 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

► बयाना लेने के बाद न जमीन की रजिस्ट्री कराई, न लौटाई रकम

► न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने का अनुबंध कर 30 लाख रुपये लेने और बाद में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराने के मामले में गुनगा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोमवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, बावड़िया कलां स्थित महेंद्र टाउनशिप फेज-2 निवासी दीपक मिश्रा ने 8 अगस्त 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने ग्राम पीपलखेड़ा में स्थित दो भूखंडों की कुल 2.577 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदने के लिए लक्ष्मण सिंह राजपूत से अनुबंध किया था। इसके तहत 30 लाख रुपये बयाना राशि के रूप में दिए गए थे।

15 लाख रुपये नकद, इतनी ही राशि चेक से दी

शिकायत के मुताबिक, दीपक मिश्रा ने 15 लाख रुपये चेक से और 15 लाख रुपये नकद दिए थे। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी लक्ष्मण सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। रकम वापस मांगने पर भी उसने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद फरियादी ने पुलिस से शिकायत की।

दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई: पुलिस ने विक्रय अनुबंध, बैंक विवरण और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 44 वर्षीय लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी ग्राम पीपलखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने प्राप्त रकम खर्च करना बताया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

बीएचईएल से 4.72 लाख के कॉपर रोल चोरी, तीन आरोपी गिरफ्तार

► गोविंदपुरा पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया मामला

► सुपरवाइजर ने साथियों के साथ मिलकर की थी चोरी



टीएम ने बीएचईएल के रखरखाव भंडार के सुपरवाइजर सुधीर कुमार पाल से पूछताछ की। पुलिस के

मुताबिक, उसने धर्मेंद्र कटियार और ओमप्रकाश बंजारे के साथ चोरी करना स्वीकार किया।

कबाड़ी को बेच दिए थे कॉपर रोल

आरोपियों ने कथित तौर पर कॉपर रोल मारुति 800 कार से बाहर निकाले और कबाड़ी को बेच दिए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल वाहन और 10 कॉपर बंडल जब्त किए हैं। चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार, बीएचईएल के अन्य कर्मचारियों की संभावित संलिप्तता की जांच जारी है।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का सश्रम कारावास

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी विजय विश्वकर्मा को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार की अदालत ने 24 अक्टूबर 2026 को यह फैसला सुनाया। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। वहीं, धारा 366 के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास और एक

हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

सूत से बरामद हुई थी बालिका

प्रकरण के अनुसार, 30 मार्च 2024 को बालिका के माता-पिता ने कमला नगर थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 8 अप्रैल 2024 को बालिका को गुजरात के सूत से बरामद किया। बालिका के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की और न्यायालय में आरोपपत्र प्रस्तुत किया।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय शंकर प्रजापति और ज्योति कुजूर ने पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

अवैध खाद कारोबार पर कार्रवाई, 2230 बोरी जब्त

नप्र, भोपाल : मध्यप्रदेश में अवैध खाद परिवहन और नकली उर्वरक के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। पिछले दो दिनों में खंडवा और छतरपुर जिले में कुल 2230 बोरी खाद जब्त की गई। जब्त सामग्री और वाहनों की कुल कीमत लगभग 67.25 लाख रुपये बताई गई है।

खंडवा जिले के खालवा थाना क्षेत्र के ग्राम रिछड़ीखेड़ा में 25 अक्टूबर को जांच के दौरान महाराष्ट्र के पंजीयन नंबर वाले तीन ट्रकों से 1500 बोरी डीएपी खाद बरामद हुई। प्रत्येक ट्रक में 500 बोरी खाद थी। परिवहन परमिट के अनुसार खाद महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से धारणी स्थित कृषि सेवा केंद्र भेजी जा रही थी, लेकिन इसे निर्धारित गंतव्य के बजाय खंडवा के ग्राम रिछड़ीखेड़ा में ले जाया जा रहा था। खाद और तीनों ट्रकों सहित लगभग 50.25 लाख रुपये की सामग्री जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। छतरपुर में मातगुवां पुलिस ने सागर-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुरीहा तिराहे के पास खाद से भरा लोडर रोका। जांच में कृषि अधिकारी ने खाद नकली पाई।

नईदुनिया

आबकारी विभाग की छापेमारी, 1600 लीटर हाथ भट्ठी शराब जब्त

होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में देर रात तक जांच; एक ही दिन में 30 से अधिक प्रकरण दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में आबकारी विभाग ने रविवार रात होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानों पर छापेमारी कर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 1600 लीटर हाथ भट्ठी शराब और लहान बरामद किया गया।

विभाग ने एक ही दिन में 30 से अधिक प्रकरण दर्ज किए। उपयुक्त आबकारी केसी अग्निहोत्री और सहायक आबकारी आयुक्त

वीरेंद्र कुमार धाकड़ के निर्देश पर नियंत्रक वर्षा उड़के ने कार्रवाई के लिए टीमें गठित कीं। रविवार रात टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में जांच की। सहायक जिला आबकारी अधिकारी शेखर लिखार ने भीमनगर की झुग्गी बस्ती में कार्रवाई की, जबकि सीमा कशीसिया ने टीला जमालपुरा क्षेत्र में जांच की। यहां रमेश अडवाणी को ऑटो में देशी शराब ले जाते हुए पकड़ा गया। आबकारी

उप निरीक्षक स्वाति बघेल ने ग्राम बगोनिया में दबिश दी। यहां राहुल पिता प्रेम अहिरवार के पास से 1600 लीटर हाथ भट्ठी शराब और लहान बरामद किया गया। बताया गया कि उसने टंकियों में पानी की जगह शराब भरकर रखी थी। सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति उड़के ने बैरागढ़ क्षेत्र में भोपाल-इंदौर मार्ग पर स्थित होटल रौनक, पटेल, द आर्क, किंग्स, क्लब कबाना और

बिग चिल में जांच कर कार्रवाई की। वहीं, शरद मिश्रा और उनकी टीम ने एमपी नगर क्षेत्र के होटल दिल्ली दरबार, होटल वाइड, होटल एवेन्यू और अरेरा कॉलोनी स्थित कुसीन कल्चर में जांच की। इन कार्रवाइयों में 26 प्रकरण दर्ज किए गए। आबकारी विभाग की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर कार्रवाई की।

नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों से सजा शरदोत्सव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मिलन नर्मदीय ब्राह्मण सामाजिक संस्था ने संस्कृत विश्वविद्यालय के भवभूति सभागृह में नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के साथ शरदोत्सव मनाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलेश्वर के समाजसेवी विजय बड़ोले, विशिष्ट अतिथि डॉ. नरेंद्र दत्त गार्गव रहे। अध्यक्षता डॉ. विजय पगारे ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वरा खेड़े की कथक नृत्य प्रस्तुति से हुआ।

वेदिका साकल्ले, काव्या खरे सहित अन्य कलाकारों ने एकल और सामूहिक नृत्य प्रस्तुतियां दीं। रश्मि उपाध्याय और सलानी उपाध्याय के युगल नृत्य को भी सराहना मिली। मिलन सांस्कृतिक समिति की ओर से संत सिंगाजी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी गई। एकल गायन और नृत्य प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों



का मन मोहा।

रेवा समूह की 'हमारी संस्कृति, हमारी पहचान' विषय पर आधारित सामूहिक प्रस्तुति में हास्य नाट्य के माध्यम से परंपराओं को दर्शाया गया। दर्शकों ने कलाकारों का तालियों

से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का संयोजन सीमा तारे ने किया। प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पत्र और राकेश तारे के सौजन्य से पुरस्कार वितरित किए गए। मुदुल चतुर्वेदी ने आभार

मेट्रो निर्माण के चलते

आईटीआई तिराहे से पिपलानी तक बदलेगा यातायात मार्ग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते आईटीआई तिराहे से पिपलानी पेट्रोल पंप तिराहे तक 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक यातायात परिवर्तित रहेगा। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं।

प्रभात चौराहे से जेके रोड, मिनाल और पिपलानी पेट्रोल पंप की ओर जाने वाले वाहन आईटीआई तिराहा पुलिसिया से पहले गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर सी से होते हुए अनंत श्री अस्पताल के पास मुड़कर भीम और चाय के समय आपसी मेल-मिलाप का दौर चला।

तक जा सकेंगे। प्रभात चौराहे से गोविंदपुरा और अहमपुरी जाने वाले हल्के वाहन तथा दोपहिया वाहन आईटीआई तिराहे से दाएं मुड़कर हेमा स्कूल तिराहे के रास्ते अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। पिपलानी पेट्रोल पंप तिराहे से प्रभात चौराहे की ओर जाने वाले भारी वाहन पिपलानी थाने के सामने से महात्मा गांधी चौराहे पर दाएं मुड़कर कैरियर कॉलेज तिराहे से आईटीआई और प्रभात चौराहे की ओर जा सकेंगे। इसी मार्ग पर जाने वाले हल्के वाहन और दोपहिया वाहन जुबली गेट, भेल से बाएं मुड़कर बरखेड़ा चौराहे से कैरियर कॉलेज तिराहे के रास्ते जा सकेंगे।

गुरु टेकचंद के समाधि दिवस पर किया नमन

नप्र, भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महान संत, गुरु टेकचंद के समाधि दिवस पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा है कि त्याग-तपस्या-भक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण गुरु टेकचंद जी महाराज का जीवन समाज को आध्यात्मिक चेतना, सेवा, सद्भाव और एकता का संदेश देता है।